

भाग— ||

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

परियोजना/स्कीम का स्थानः— एस०सी०पी० के अन्तर्गत कनालीछीना से ल्वांठी गांव तक मोटर मार्ग।

- |   |   |
|---|---|
| i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र  | — उत्तराखण्ड।                           |
| ii) जिला  | — पिथौरागढ़।                            |
| iii) वन प्रभाग  | — पिथौरागढ़।                            |
| iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन<br>भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में )  | <u>1.62</u>                             |
| v) वन की कानूनी स्थिति  | — 1.25 हेठो राज्य भूमि, वन पंचायत—0.495 |
| vi) हरियाली का घनत्व  | —                                       |
| vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि<br>श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की<br>जाए)। सेंचाई/जलीय परियोजनाओं के<br>सम्बन्ध में एफ०आर०एल०— 8 मी० पर<br>परिगणना भी संलग्न किए जाए  | — संलग्न है।                            |
| viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन<br>शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।  | — नहीं।                                 |
| ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की<br>वन की सीमा से अनुमानित दूरी   | <u>1 किमी०</u> ।                        |
| x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य<br>जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर<br>आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और<br>प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित<br>की जाए)                        | — नहीं।                                 |
| xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ<br>/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं<br>यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।   | — नहीं।                                 |
| xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/<br>रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक<br>क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा<br>सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण—पत्र के साथ<br>यदि अपेक्षित हो, या | — नहीं।                                 |
| 8— प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग—1 कालम 2 में प्रस्तावित<br>वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य<br>और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों<br>के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।                          | — नहीं अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।        |

- 9— क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हों / नहीं) यदि हों, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं। — नहीं।
- 10— प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-
- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस—पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू—खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू—खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू—खण्ड का आकार। — संलग्न है।
  - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस—पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। — संलग्न है।
  - रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। — संलग्न है।
- Iv प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। — ₹३५८०।
- v प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण—पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। — संलग्न है।
- 11— जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) — ₹४५८०।
- 12— प्रभाग / जिला प्रोफाइल जिला का भौगोलिक क्षेत्र।
- जिला का वन क्षेत्र। — 7169.00 वर्ग किमी।
  - मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। — ₹२१५२५०।
  - 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण

- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित  
वन भूमि
- (ख) वनेत्तर भूमि पर  
..... 11/2014 ..... तक प्रतिपूरक वनीकरण  
में हुयी प्रगति
- (क) वन भूमि पर
- (ख) वनेत्तर भूमि पर

1112.00/-

495.00/-

- 2174.00/-

- 495.00/-

- 2174.00/-

- 495.00/-

13— उपकारसंरक्षण की विवरण—

संस्कृतीकरिता, अस्तावल, अस्तावल ये दोनों  
की अस्तावल विभाग द्वारा भारत सरकार  
वर्ष 1954 से लाइसेंस द्वारा लगाई गई शाता  
का अनुपाल, निपाजाप॥।

संगत

दिनांक 18-12-2014  
स्थान पिठोरागढ़

हस्ताक्षर—  
नाम—  
सरकारी मोहर—



वन विभाग  
पिठोरागढ़ वन विभाग

Sub. Divisional Officer  
Didihat  
Pithoragarh Forest Divi.